रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251548 CG-DL-E-21012024-251548

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

No. 441

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945 NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/MAGHA 1, 1945

खान मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 50(अ).— केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 और का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत संशोधन नियम. 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खिनज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खिनजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 3 में "और (ii) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में सूचीबद्ध खिनजों", शब्दों, कोष्ठक, अंकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु: -
 - "(ii) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क में सूचीबद्ध खनिज; और (iii) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में सूचीबद्ध खनिज, जिनका ग्रेड परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक मुल्य के बराबर या उससे अधिक है."
- 3. उक्त नियमों में, नियम 9क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

486 GI/2024 (1)

- **"9ख. नीलामी के माध्यम से प्रदत्त गवेषण अनुज्ञप्ति.-** (1) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 19छ के उप-नियम (4) के अधीन सफल बोलीदाता को प्रदत्त गवेषण अनुज्ञप्ति का गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख अनुसूची V-क में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा।
- (2) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक, किसी भी समय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, राज्य सरकार को एक भाग या पूरा क्षेत्र सौंप सकता है अर्थात्:
- (i) यथास्थिति टोही योजना या पूर्वेक्षण या दोनों, के अनुसार अभ्यर्पण किए जा रहे क्षेत्र में अभ्यर्पण की तारीख तक किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही अभ्यर्पण किया जाएगा;
- (ii) अभ्यर्पण किए जा रहे क्षेत्र का पुन:ग्रहण पूरा करने के पश्चात ही अभ्यर्पण किया जाएगा;
- (iii) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक अपने द्वारा रोक रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को रोक रखने के कारणों तथा बनाए रखने और अभ्यर्पण किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाओं को बताएगा;
- (iv) रोक रखा गया क्षेत्र समीपस्थ या दूरस्थ क्षेत्र हो सकता है;
- (v) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक टोही या पूर्वेक्षण या दोनों की योजना के अनुसार रोक रखे गए क्षेत्र में टोही या पूर्वेक्षण प्रचालन या दोनों करेगा;
- (vi) यदि टोही या पूर्वेक्षण की योजना के अधीन किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई प्रचालन प्रस्तावित नहीं है, तो गवेषण अनुज्ञप्तिधारक अनिवार्य रूप से ऐसे क्षेत्र का अभ्यर्पण कर देगा;
- (vii) राज्य सरकार का समाधान होने के पश्चात कि किसी क्षेत्र का अभ्यर्पण इस नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप है, ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर सकती है;
- (viii) क्षेत्र के अभ्यर्पण के प्रत्येक उदाहरण में रोक रखे गए क्षेत्र के हिस्से के लिए अनुसूची V-खमें विनिर्दिष्ट प्रारूप में अनुज्ञप्तिधारक और राज्य सरकार के बीच एक पूरक गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित किया जाएगा।
- परंतु यह कि गवेषण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक टोही या पूर्वेक्षण कार्यों को जारी रखने के उद्देश्य से उसे दी गई मूल अनुज्ञप्ति के अधीन कवर किए गए कुल क्षेत्र के उतने क्षेत्र को रोक रख सकता है जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो और उपर्युक्त शर्तों एवं धारा 10खक की उप-धारा (11) के अनुपालन में शेष क्षेत्र का अभ्यर्पण करेगा।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "10क. गवेषण अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार.—(1) टोही या पूर्वेक्षण प्रचालन या दोनों को पूरा करने के उद्देश्य से धारा 10खक की उप-धारा (10) के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति के विस्तार के लिए आवेदन इसके निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात, लेकिन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा और यह एक विवरण, जिसमें निम्नलिखित शामिल है, के साथ होगा, अर्थात--
- (क) गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक विस्तार की मांग के कारण;
- (ख) खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 9 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदक द्वारा किए गए टोही या पूर्वेक्षण प्रचालन या दोनों की विवरण रिपोर्ट;
- (ग) उस क्षेत्र की सीमाओं सहित गवेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा रोक रखे गए क्षेत्र का ब्यौरा;
- (घ) किए गए व्यय का ब्यौरा;
- (ङ) कितने श्रम दिवसों के लिए कार्य किया गया था; और
- (च) पूर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अविध का औचित्य।
- (2) राज्य सरकार आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर अनुसूची II में आवेदक को आवेदन प्राप्ति की पावती भेजेगी।
- (3) राज्य सरकार उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के पश्चात दिए गए आवेदन को जमा करने में देरी को माफ कर सकती है, परन्तु यह कि आवेदन गवेषण अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने से पहले किया गया हो।

(4) गवेषण अनुज्ञप्ति की अवधि के विस्तार के लिए एक आवेदन का निपटान राज्य सरकार द्वारा गवेषण अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाएगा।

- 5. उक्त नियमों के नियम 11 में,—
- (i) पार्श्व शीर्ष में, "और संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर, "संयुक्त अनुज्ञप्ति और गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उप-नियम (1) में,—
- (क) प्रारंभिक भाग में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी अथवा संयुक्त अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों के स्थान पर, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) खंड (ग) में,
- (क) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति धारण करने वाली" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख)"पूर्वेक्षण" शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ग) खंड (ङ), में, "पूर्वेक्षण" शब्द के पश्चात, "या टोही" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (घ) खंड (छ) में, "पूर्वेक्षण" शब्द के पश्चात, "या टोही" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ङ) खंड (ज) में, "पूर्वेक्षण" शब्द के पश्चात, दोनों स्थानों पर, जहां भी वे आते हैं, "या टोही" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे:
- (च) खंड (झ) में, "पूर्वेक्षण" शब्द के पश्चात, "या टोही" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (छ) खंड (ञ) में, "पूर्वेक्षण" शब्द के पश्चात, "या टोही" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ज) खंड (ट) में, दोनों स्थानों पर, जहां भी वह आता है, "पूर्वेक्षण" शब्द का लोप कर दिया जाएगा;
- (झ) खंड (ठ) में,
- (क) "पूर्वेक्षण प्रचालन" शब्दों के स्थान पर, "पूर्वेक्षण या टोही प्रचालन" शब्द प्रतिस्थापित किए जांएगे;
- (ख) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-नियम (3) में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, जहां कहीं भी वे आते हैं, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (iv) उप-नियम (5) में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, दोनों स्थानों पर, जहां भी वे आते हैं, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (v) उप-नियम (6) में,
- (क) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ख) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, "यथास्थिति या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (vi) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "(7) क्षेत्र का अभ्यर्पण नियम 9ख के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक, उन कार्यों के पूरा करने के तीन माह की अविध के भीतर, जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, या गवेषण अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, राज्य सरकार को एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और भारतीय खान ब्यूरो खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5; खनन पट्टा प्रदान करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करना, के अनुसार तैयार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में टोही और पूर्वेक्षण प्रचालनों के परिणाम को स्पष्ट करता है।
- (9) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक किसी भी तरीके से इन नियमों के अधीन तैयार सूचना, योजना और रिपोर्ट या टोही या पूर्वेक्षण प्रचालनों से संबंधित किसी अन्य भूवैज्ञानिक सूचना को केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सरकार या इन नियमों या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन नहीं करेगा।

- (10) यदि गवेषण अनुज्ञप्तिधारक अपने द्वारा रोक रखे गए क्षेत्रों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पहले, यथास्थिति टोही या पूर्वेक्षण योजना या दोनों, के अनुसार टोही या पूर्वेक्षण प्रचालनों या दोनों को पूरा करने में विफल रहता है, या उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो -
- (i) वह अपने गवेषण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दिए गए खनन पट्टे की नीलामी प्रीमियम में से कोई भी कोई भाग प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा;
- (ii) उसे तीन वर्ष तक की अवधि के लिए किसी राज्य में गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए किसी नीलामी में भाग लेने से रोक दिया जाएगा; और
- (iii) राज्य सरकार कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर सकती है।"।
- 6. उक्त नियमों के, नियम 12 के, उप-नियम (1) के, खंड (ट) में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परन्तु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अनुमित केवल उस मामले में दी जाएगी जहां इस तरह के अधिभार या अपशिष्ट चट्टान या प्रारंभिक मूल्य से नीचे के खिनज का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है जिसके कारण इसे गौण खिनज के अलावा अन्य खिनज कहा जा सकता है:

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन अनुमित पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात किसी भी समय रद्द की जा सकती है:"।

7. उक्त नियमों के, नियम 17 के, उप-नियम (2) में, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परन्तु यह कि यदि किसी खान में खनन या खनिज प्रसंस्करण कार्य पांच वर्ष की अविध की अवसान से पहले दो सौ सत्तर दिनों से अधिक की अविध के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसके लिए खनन योजना को अंतिम अवसर पर अनुमोदित किया गया था; और खनन पट्टा धारक ने खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 2017 के नियम 28 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी एवं राज्य सरकार को सूचना प्रेषित की है, तो धारक को ऐसे अस्थायी बंद होने की अविध के दौरान समीक्षा के लिए खनन योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन खान को पुनः खोलने से पहले समीक्षा के लिए खनन योजना प्रस्तुत करेगा और उस पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।"।

- 8. उक्त नियमों के, नियम 23 में,—
- (i) पार्श्व शीर्ष में "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ii) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, जहां भी वे आते हैं, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (iii) उप-नियम (3) में, "पूर्वेक्षण" शब्द के पश्चात, "या टोही" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (iv) उप-नियम (11) में, "पट्टेदार" शब्द के पश्चात, "या अनुज्ञप्तिधारक" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 9. उक्त नियमों के, नियम 23ख में,
- (i) पार्श्व शीर्ष में "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ii) उप-नियम (1) और (2) में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 10. उक्त नियमों में, अनुसूची I, अनुसूची III और अनुसूची IV का लोप कर दिया जाएगा।
- 11. उक्त नियमों में, अनुसूची V के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूचियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"अनुसूची – V-क" [नियम 9क(1) देखें] गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रारूप

यह विलेख गवेषण अनुज्ञप्ति (''अनुज्ञप्ति'') प्रदान करने के लिए निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया है, अर्थात:

पक्षकार:

1. **राज्यपाल [राज्य के],** [राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग]**("राज्य सरकार")** के माध्यम से किया जा रहा है

और

[अनुज्ञप्तिधारक का नाम] कंपनी अधिनियम [1956/2013] के अधीन भारत में निगमित कॉरपोरेट पहचान संख्या 2. [सीआईएन] सहित, जिनका रजिटीकरण कार्यालय [रजिटीकरण कार्यालय का पता] भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान [कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिट्टीकरण कार्यालय से भिन्न हो] अथवा [कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थाई लेखा संख्या [**संख्या**] है, जो [पता] का निवासी है]] अथवा [अनुसूची क में सूचीबद्ध व्यक्ति जो [फर्म/व्यक्तियों का संगम] के रूप में [फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का नाम] के नाम से संगठित है] और जिनमें सभी भारतीय नागरिक और भारत के निवासी हैं।]("अन्ज्ञिप्तिधारक")

5

पृष्ठभूमि:

- अनुज्ञप्तिधारक ने गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लिया था, जिसके क. अनुसार अनुज्ञप्तिधारक गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्र हो गया है।
- तदन्सार, राज्य सरकार भगतान किए जाने, निगरानी करने और निष्पादित किए जाने वाले अनुज्ञप्ति के भाग पर ख. इसके पश्चात सरक्षित और अन्तर्विष्ट फीस, रॉयल्टी, प्रसंविदा और करारों के प्रतिफल में अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अब यह अनुज्ञप्ति निष्पादित कर रही है।
- परिभाषाएं 1.

इस अनुज्ञप्ति में प्रयुक्त पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित किए गए हैं।

अनुज्ञप्ति प्रदान करना

राज्य सरकार अनुज्ञप्तिधारक को निम्नलिखित खनिज (जों), [खनिजों के नाम] के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्ति निष्पादित करने की तारीख से आरंभ करते हुए पांच वर्षों की अवधि के लिए टोही या पूर्वेक्षण या टोही और पूर्वेक्षण दोनों कार्यों को करने के लिए अनुसूची ख ("अनुज्ञप्ति क्षेत्र") में वर्णित क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करती है।

अधिकार और दायित्व

- 3.1 राज्य सरकार और अनुज्ञप्तिधारक के अधिकार और दायित्व, जो खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2015 की सीमाओं के बिना सहित, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3.2 पूर्वगामी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
- (क) अनुज्ञप्तिधारक:-,
- इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और अन्य लागू विधि का सदैव अनुपालन करेगा, (i)
- अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अपेक्षित रॉयल्टी और किसी अन्य अपेक्षित भुगतानों का तत्काल भुगतान करेगा। (ii)
- अनुज्ञप्तिधारक को इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने से उत्पन्न अनुज्ञप्ति सभी नुकसान, क्षति या (iii) व्यवधान के लिए इस विषय पर लागू विधि के अनुसार वैध प्राधिकारी द्वारा यथा आकलित ऐसे मुआवजे का भुगतान करेगा और इस संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे किसी नुकसान, क्षति या व्यवधान और सभी प्रकार की लागतों और खर्चों संबंधी सभी दावों के लिए राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे पूर्णत: और पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा;
- पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने खर्च पर वृक्षारोपण, खनित भूमि का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का उपयोग, (iv) और केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसे अन्य उपाय करेगा।
- इस अनुज्ञप्ति के अधीन प्रचालनों के दौरान होने वाली मृत्यु दुर्घटना या गंभीर शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को (v) गंभीर रूप से पहुंचाई गई क्षति या गंभीर रूप से प्रभावित करने या जान या माल को होने वाले खतरे की किसी घटना की रिपोर्ट अविलम्ब उपायुक्त या कलेक्टर को भेजेगा।
- अनुज्ञप्ति क्षेत्र के किसी भाग में तौल अथवा मापे जाने वाले अथवा तौल किए गए अनुज्ञप्ति क्षेत्र से समय-समय पर (vi) प्राप्त किए गए सभी खनिजों के संबंध में उपायुक्त या कलेक्टर को [दिनों की संख्या] पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि ऐसे माप-तौल के दौरान वह अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति उस जगह पर उपस्थित रह सके।

- (vii) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और इस अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए कार्यों के दौरान इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र का भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारक को प्राप्त होने वाली सभी सुचनाओं को प्रस्तुत करेगा।
- (viii) इस अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू स्टांप शुक्ल और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा।

(ख) राज्य सरकार:

- (i) को उक्त भूमि में,उस पर जो उसके बीच में से किन्हीं उद्देश्यों के लिए आवश्यक या लाभदायक माने जाने वाली सड़को, ट्राम मार्गों या रज्जूमार्गों के बनाने और उक्त भूमि में से ऐसे पत्थरों, मिट्टी या अन्य खनिजों को प्राप्त करने, जो ऐसी सड़कों, ट्राममार्गों या रज्जूमार्गों के बनाने, मरम्मत करने या अनुरक्षण करने से उत्पन्न हुए हों और आवश्यकता होने पर सभी उद्देश्यों एवं अवसरों के लिए ऐसी सड़कों, ट्राममार्गों, रेलमार्गों और रज्जूमार्गों के ऊपर या उनके साथ-साथ सदैव गमन और पुनरागमन आदि की सीमाओं के बिना सहित, अनुज्ञप्तिधारक को यहाँ स्पष्ट रूप से किए गए समस्त अधिकारों और अनुज्ञप्ति के अलावा सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए इस अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हों इसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता हो. को कभी भी प्रवेश करने और स्वीकृति देने या पट्टा अंतरण करने का अधिकार होगा।
- (ii) ऐसी किसी निष्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित करने और अनुज्ञप्तिधारक से निष्पादन प्रतिभूति की पुन: पूर्ति करने के लिए निदेश देने का अधिकार होगा। यदि इस अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण और अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पूर्ण किए गए सभी दायित्वों को पूर्ण करने के पश्चात किसी प्रतिभूति जमा के माध्यम से यह निष्पादन प्रतिभूति दी गई है, तो ऐसा प्रतिभूति जमा अनुज्ञप्तिधारक को समुचित कटौतियों के पश्चात बिना किसी ब्याज के लौटा दी जाएगी; और
- (iii) अनुज्ञप्तिधारक को प्रसंविदा के अनुसार इस संबंध में किसी कार्य को निष्पादित करने का अधिकार है परंतु जिन्हें इस संबंध में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर कार्यान्वित या निष्पादित नहीं किया गया है, को करने या निष्पादित करने का अधिकार है और इसके लिए और अनुज्ञप्तिधारक ऐसे सभी खर्चों का राज्य सरकार को भुगतान करेगा, जो ऐसे कार्यों को करने या उनके निष्पादन पर खर्च किए जाएंगे।
- 3.3 यदि राज्य सरकार किसी खनिज(जों) के संबंध में अपने अग्रक्रय के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक है, तो राज्य सरकार ऐसे खनिजों के औसत विक्रय मूल्य, जो अग्रक्रय के समय प्रचलित भारतीय खान ब्यूरो की वर्तमान यथा प्रकाशित दरें हैं, का भुगतान करेगी।
- परन्तु सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के अलावा किसी भी खनिज (जों) के लिए ऐसी कोई राशि देय नहीं होगी।
- 3.4. युद्ध या आपातकाल की स्थिति में (जिसके होने पर भारत के राष्ट्रपति एकमात्र न्यायाधीश होंगी और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना सबूत होगी) केंद्रीय की सहमित से राज्य सरकार को उक्त अविध के दौरान समय-समय पर और सदैव अनुज्ञप्तिधारक के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी और परिसर पर या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के संबंध में या इस अनुज्ञप्ति के अधीन प्रचालनों पर कब्ज़ा और नियंत्रण करने का अधिकार (अनुज्ञप्तिधारक या अनुज्ञप्तिधारकों को लिखित रूप में एक नोटिस द्वारा प्रयोग किया जाएगा) होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान, अनुज्ञप्तिधारक ऐसे कार्यों, संयंत्रों, परिसरों और खिनजों के रोज़गार के उपयोग के संबंध में केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए सभी निर्देशों का अनुसरण और पालन करेगा, परन्तु यह कि उचित प्रतिपूर्ति, जो राज्य सरकार द्वारा समझौते की कमी पर निर्धारित की जाएगी, अनुज्ञप्तिधारक को कारण से या इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाली सभी हानि या क्षित का भुगतान किया जाएगा और परन्तु यह यह भी कि ऐसी शक्ति का प्रयोग उसके या उनके द्वारा दी गई उक्त अविध का निर्धारण नहीं करेगा या इस खंड के नियमों और उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।
- 3.5. यदि अनुज्ञप्तिधारक के प्रस्तावित प्रचालन से होने वाली किसी भी क्षित के लिए प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात, उक्त भूमि के किसी भी हिस्से की सतह का कब्जाकर्ता राज्य सरकार को आरक्षित और इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग के लिए अपनी सहमति से इनकार कर देगा, तो अनुज्ञप्तिधारक मामले की सूचना राज्य सरकार को देगा और प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि उसके पास जमा करेगा और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रतिपूर्ति राशि उचित है या यदि इसका समाधान नहीं होता है तथा अनुज्ञप्तिधारक ने उसके पास ऐसी अतिरिक्त राशि जमा कर दी है जिसे राज्य सरकार उचित समझे, राज्य सरकार कब्जाकर्ता को आदेश देगी कि वह अनुज्ञप्तिधारक को उक्त

भूमि पर प्रवेश करने और ऐसे कार्यों को करने की अनुमति दे जो अनुज्ञप्ति के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों। इस तरह की प्रतिपूर्ति की राशि का आकलन करने में राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।

- 3.6. अनुज्ञप्तिधारक को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना अनुज्ञप्तिधारक द्वारा नामित व्यक्ति को लिखित रूप में दी जाएगी और ऐसे नामांकन की सूचना राज्य सरकार को लिखित रूप में दी जाएगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारक को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में दिखाए गए पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर नोटिस भेजा जाएगा जिसे अनुज्ञप्तिधारक समय-समय पर अभिहित कर सकता है और ऐसी प्रत्येक सेवा को अनुज्ञप्तिधारक के लिए उचित और वैध सेवा माना जाएगा और उसके द्वारा उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे या उस पर आक्षेप नहीं किया जाएगा।
- 3.7. यदि किसी भी स्थिति में खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के अधीन कार्यवाही के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के आदेशों को संशोधित किया जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है या उन्हें रद्द कर दिया जाता है, तो इन उपहारों द्वारा अनुज्ञप्तिधारक को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग में अनुज्ञप्तिधारक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए अनुज्ञप्तिधारक मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

4. शासी विधि

यह अनुज्ञप्ति और इसके निर्वचन के सभी प्रश्न भारत की विधि के अनुसार समझे जाएंगे। इस अनुज्ञप्ति से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में और अनुज्ञप्तिधारक और राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, याचिकाओं के वाद [शहर का नाम]] सिविल न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि कोई भी पक्ष उपरोक्त न्यायालयों के अलावा किसी भी स्थान पर वाद या अपील प्रस्तुत नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

साक्ष्य में जहां प्रतिनिधित्वों को स्थान [स्थान का नाम] पर इस तारीख [तारीख] को निष्पादित किया गया है। अनुसूची क - व्यक्तियों की सूची*

क्र.सं .	नाम	पैन नंबर	पता

^{*} अनुज्ञप्तिधारक यदि व्यक्तियों का संगम नहीं है तो उसे हटा दें।

अनुसूची ख: गवेषण अनुज्ञप्ति क्षेत्र

(भू-निर्देशांक सहित क्षेत्र का विवरण प्रदान करें।)

अनुसूची -V-ख [नियम 9क देखें]

अनुपूरक गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रारूप

यह विलेख गवेषण अनुज्ञप्ति (''**अनुज्ञप्ति''**) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया जाता है:

पक्षकार:

- 1.राज्यपाल [राज्य के], [राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग] ("राज्य सरकार") की ओर से कार्य करते हैं। और
- 2. [अनुज्ञिसिधारक का नाम] कंपनी अधिनियम [1956/2013] के अधीन भारत में निगमित कॉरपोरेट पहचान संख्या [सीआईएन] सहित, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता] भारत में है और कारबार का प्रमुख स्थान [कारबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न हो] अथवा [कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थाई लेखा संख्या [संख्या] है, जो [पता] का निवासी है]] अथवा [अनुसूची क में सूचीबद्ध व्यक्ति जो [फर्म/व्यक्तियों का संगम] के रूप में [फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम का नाम] के नाम से संगठित है] और जिनमें सभी भारतीय नागरिक और भारत के निवासी हैं।]("अनुज्ञिसिधारक")

पृष्ठभूमि:

- क. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा गवेषण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लिया था, जिसके अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारक गवेषण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है।
- ख. राज्य सरकार ने इसे इसमें इसके पश्चात् भुगतान, अवलोकन और निष्पादन करने के लिए अनुज्ञप्ति की ओर से आरक्षित और निहित शुल्क, रॉयल्टी, अनुबंध और समझौतों पर विचार करते हुए अनुज्ञप्तिधारक को......... से........तक की अविध के लिए अनुसूची ख ("अनुज्ञप्ति क्षेत्र") में वर्णित क्षेत्र पर अनुज्ञप्ति देने के लिए.......... पर गवेषण अनुज्ञप्ति का निष्पादन किया है।
- ग. ऐसे निष्पादन के/तीन वर्ष पश्चात......, अनुज्ञप्तिधारक ने अनुसूची ख-I/II/III... में वर्णित क्षेत्र के प्रतिधारण के लिए आवेदन किया, जिसमें ऐसे क्षेत्र को के प्रतिधारण के कारण बताए गए थे।
- घ. तद्नुसार, राज्य सरकार इस पूरक गवेषण अनुज्ञप्ति को अनुसूची ख-l/ll/lll में यथावर्णित [तीन वर्षों के पश्चात अंतिम क्षेत्र/प्रतिधारित क्षेत्र] में निष्पादित कर रही है।
- ङ. गवेषण अनुज्ञप्ति के अन्य सभी नियम और शर्तें इस पूरक अनुज्ञप्ति पर लागू होंगी।

1. परिभाषाएं

इस अनुज्ञप्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिया गया है।

2. अनुज्ञप्ति प्रदान करना

राज्य सरकार निम्नलिखित खनिजों [खनिजों का नाम] के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से पांच वर्षों में से शेष अविध के लिए (प्रतिधारित क्षेत्र के लिए)/दो वर्ष की शेष अविध के लिए (अंतिम क्षेत्र के लिए) टोही/पूर्वेक्षण/टोही और पूर्वेक्षण दोनों प्रचालनों के लिए अनुसूची ख-।/।।/।।।... ("अंतिम/ प्रतिधारित क्षेत्र") में वर्णित क्षेत्र पर अनुपूरक अनुज्ञप्ति प्रदान करती है।

3. शासी विधि

यह अनुज्ञप्ति और इसके निर्वचन के सभी प्रश्न भारत की विधि के अनुसार समझे जाएंगे। इस अनुज्ञप्ति के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में और अनुज्ञप्तिधारक और राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, याचिकाओं के वाद [शहर का नाम]] सिविल न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि कोई भी पक्ष उपरोक्त न्यायालयों के अलावा किसी भी स्थान पर वाद या अपील प्रस्तुत नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

साक्ष्य में जहां प्रतिनिधित्वों को स्थान [स्थान का नाम] पर इस तारीख [तारीख] को निष्पादित किया गया है। अनुसूची क-व्यक्तियों की सूची*

क्र.सं.	नाम	पैन नंबर	पता

^{*} अनुज्ञप्तिधारक यदि व्यक्तियों का संगम नहीं है तो उसे हटा दें।

अनुसूची ख: गवेषण अनुज्ञप्ति क्षेत्र

(भू-निर्देशांक सहित क्षेत्र का विवरण प्रदान करें।)

अनुसूची ख-।: पूरक गवेषण अनुज्ञप्ति क्षेत्र

(आंशिक क्षेत्र के अभ्यर्पण के पश्चात गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए कुल क्षेत्र में से यथा प्रतिधारित)

(भु-निर्देशांक सहित क्षेत्र का विवरण प्रदान करें।)

अनुसूची ख-II: पूरक गवेषण अनुज्ञप्ति क्षेत्र

(आंशिक क्षेत्र के समर्पण के पश्चात गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए कुल क्षेत्र में से रोक यथा प्रतिधारित)

(भू-निर्देशांक सहित क्षेत्र का विवरण प्रदान करें)

अनुसूची ख-{एन}: पूरक (अंतिम) गवेषण अनुज्ञप्ति क्षेत्र

(गवेषण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात अंततः यथा प्रतिधारित)

(भू-निर्देशांक सहित क्षेत्र का विवरण प्रदान करे)"।

- 12. उक्त नियमों में, अनुसूची IX और X में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्द, जहां कहीं भी हैं,के पश्चात्, "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 13. उक्त नियमों में, अनुसूची XII के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची- XII" [नियम 54(2) देखें] जर्माने की राशि

नियम सं.	नियम का सीमांत शीर्षक	25 हेक्टेयर तक पट्टा क्षेत्र तथा 2 लाख टन तक प्रतिवर्ष अनुमोदित उत्पादन क्षमता वाले पट्टों के लिए जुर्माने की राशि (रुपये में)	अलावा अन्य मामलों के लिए जुर्माने
(1)	(2)	(3)	(4)
नियम 17 का उप-		अधिकतम 5,00,000/-रु.के अधीन	अधिकतम 5,00,000/-रु.के अधीन
नियम (2)	समीक्षा	प्रति दिन 1,000/-रु.	प्रति दिन 2,000/- रु.

[फा सं. एम.VI-1/3/2023-खान VI(भाग1)] डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 279 (अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 737(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2024

- **G.S.R. 50(E).** In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Amendment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, for the words, brackets, figures and letters, "and (ii) minerals listed in Part A and Part B of the First Schedule to the Act", the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(ii) minerals listed in Part A of the First Schedule to the Act; and (iii) minerals listed in Part B of the First Schedule to the Act having grade equal to or more than the threshold value as specified under the Atomic Minerals Concession Rules, 2016".

- 3. In the said rules, after rule 9A, the following rule shall be inserted, namely:—
- **"9B. Exploration licence granted through auction.** (1) The exploration licence deed of the exploration licence granted to a successful bidder under sub-rule (4) of rule 19G of the Mineral (Auction) Rules, 2015 shall be in the format specified in Schedule V-A.
- (2) The exploration licencee may, at any time, surrender a part or the entire area to the State Government, subject to following conditions, namely:—
 - the surrender shall be made only after submission of the report of the operations undertaken upto the date
 of surrender in the area being surrendered in accordance with the scheme of reconnaissance or prospecting
 or both, as the case may be;
 - (ii) the surrender shall be made only after completing reclamation of the area being surrendered;
 - (iii) the exploration licencee shall state the reasons for retention of the area proposed to be retained by him and the boundaries of the area being retained and surrendered;
 - (iv) the area retained may be contiguous or non-contiguous area;
 - (v) the exploration licencee shall undertake reconnaissance or prospecting operations or both in the area retained in accordance with the scheme of reconnaissance or prospecting or both;
 - (vi) in case no such operations is proposed in any area under the scheme of reconnaissance or prospecting, the exploration licencee shall mandatorily surrender such area;
 - (vii) the State Government after being satisfied that the surrender of an area is conforming to the conditions specified in this rule, may accept such surrender;
 - (viii) a supplementary exploration licence deed shall be executed between the licencee and the State Government in the format specified in Schedule V-B for the part of the area retained at each instance of the surrender of area.

Provided that after three years from the date of execution of the exploration licence, the exploration licencee may retain an area not exceeding twenty-five per cent. of the total area covered under the original licence granted to him for the purpose of continuing reconnaissance or prospecting operations and shall surrender the remaining area in compliance of the above conditions and sub-section (11) of section 10BA.

- **4.** In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:—
- "10A. Extension of period of exploration licence.— (1) An application for extension of an exploration licence under sub-section (10) of section 10BA for the purpose of completing reconnaissance or prospecting operations or both shall be made after three years from the date of its execution but at least ninety days before the expiry of the licence and shall be accompanied by a statement containing the following, namely:—
 - (a) reasons for seeking such extension beyond five years from the date of execution of the exploration licence deed;
 - (b) a report of the details of reconnaissance or prospecting operations or both undertaken by the applicant in the format as specified under rule 9 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017;
 - (c) the details of the area retained by the exploration licencee including the boundaries of that area;
 - (d) the details of expenditure incurred;
 - (e) the numbers of man days for which the work was undertaken; and
 - (f) the justification for the additional period required to complete the prospecting work.
- (2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application to the applicant in Schedule II within a period of three days of receipt of the application.
- (3) The State Government may condone delay in submission of an application made after the time limit specified under sub-rule (1), provided that the application has been made before the expiry of the period of the exploration licence.
- (4) An application for the extension of the period of an exploration licence shall be disposed of by the State Government before the expiry of the period of the exploration licence.".
- **5.** In the said rules, in rule 11,—
- (i) in the marginal heading, for the words "and composite licence", the words ", composite licence and exploration licence" shall be substituted.

- (ii) in sub-rule (1),—
 - (a) in the opening portion, for the words "prospecting licence holder or a composite licence holder", the words, "prospecting licence, composite licence or exploration licence" shall be substituted;
 - (b) in clause (c),—
 - (A) the words "holding a prospecting licence or a composite licence" shall be omitted;
 - (B) the word "prospecting" shall be omitted;
 - (c) in clause (e), after the word "prospecting", the words "or reconnaissance" shall be inserted;
 - (d) in clause (g), after the word "prospecting", the words "or reconnaissance" shall be inserted;
 - (e) in clause (h), after the word "prospecting", at both the places where they occur the words "or reconnaissance" shall be inserted;
 - (f) in clause (i), after the word "prospecting", the words "or reconnaissance" shall be inserted;
 - (g) in clause (j), after the word "prospecting", the words "or reconnaissance" shall be inserted;
 - (h) in clause (k), the word "prospecting", at both the places where it occurs, shall be omitted;
 - (i) in clause (1),—
 - (A) for the words "prospecting operations", the words "prospecting or reconnaissance operations" shall be substituted;
 - (B) for the words "prospecting licence", the word "licence" shall be substituted;
- (iii) in sub-rule (3), after the words "composite licence", wherever they occur, the words "or an exploration licence" shall be inserted;
- (iv) in sub-rule (5), after the words "composite licence", at both the places where they occur, the words "or exploration licence" shall be inserted;
- (v) in sub-rule (6),—
 - (a) after the words "composite licence", the words "or exploration licence" shall be inserted;
 - (b) after the words "prospecting licence", the words "or an exploration licence, as the case may be" shall be inserted.
- (vi) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
 - "(7) Surrender of area shall be made in accordance with the provisions of rule 9B.
 - (8) The exploration licencee shall, within a period of three months of the completion of the operations for which licence has been granted, or from the date of expiry of the exploration licence, whichever is earlier, submit a geological report to the State Government and the Indian Bureau of Mines explaining the result of the reconnaissance and prospecting operations in the form of a geological report prepared in accordance with rule 5 of the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015; identifying the area suitable for grant of a mining lease.
 - (9) The exploration licencee shall not in any manner disclose the information, scheme and reports prepared under these rules or any other geological information related to reconnaissance or prospecting operations to any person other than the Government or authority specified in these rules or any other rules made under the Act, without prior approval of the Central Government.
 - (10) If the exploration licencee fails to complete the reconnaissance or prospecting operations or both in accordance with the scheme of reconnaissance or prospecting or both, as the case may be, before expiry of the exploration licence for the areas retained by him, or fails to submit the geological report within the period specified in sub-rule (8), then,—
 - (i) he shall not be eligible to receive any share out of the auction premium of the mining lease granted in the area covered by his exploration licence;
 - (ii) he shall be debarred from taking part in any auction for grant of exploration licences in any State for a period upto three years; and
 - (iii) the State Government may forfeit the performance security.".

6. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1), in clause (k), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided also that permission under the second proviso shall be granted only in case where such overburden or the waste rock or mineral below threshold value cannot be used for any of the purposes by reason of which use it can be called a mineral other than minor mineral:

Provided also that permission under this sub-rule may be revoked at any time after giving an opportunity of hearing to the lessee;".

7. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:

"Provided that if the mining or mineral processing operations in a mine is discontinued for a period exceeding two hundred and seventy days before the expiry of five years period for which the mining plan was approved on the last occasion; and the holder of the mining lease has sent the notice to the authorised officer and the State Government under rule 28 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, the holder shall not be required to submit mining plan for review during the period of such temporary discontinuation, but shall submit the mining plan for review and obtain approval of the competent authority on the same before reopening of the mine."

- **8.** In the said rules, in rule 23,—
- (i) in the marginal heading, after the words "composite licence", the words "or exploration licence" shall be inserted;
- (ii) after the words "composite licence", wherever they occur, the words "or exploration licence" shall be inserted;
- (iii) in sub-rule (3), after the word "prospecting", the words "or reconnaissance" shall be inserted;
- (iv) in sub-rule (11), after the words "the lessee", the words "or the licencee" shall be inserted.
- 9. In the said rules, in rule 23B,—
- (i) in the marginal heading, after the words "composite licence", the words "or exploration licence" shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (1) and (2), after the words "composite licence", the words "or exploration licence" shall be inserted.
- 10. In the said rules, Schedule I, Schedule III and Schedule IV shall be omitted.
- 11. In the said rules, after Schedule V, the following Schedules shall be inserted, namely:—

"Schedule - V-A

[See rule 9A(1)]

Format of Exploration Licence

This deed for grant of an exploration licence ("Licence") is made by and between thefollowing, namely:—

PARTIES:

1. The Governor of [State], acting through [Department of Mines and Geology of the State] (the "State Government").

AND

2. [Name of the licencee] [incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [place of business, if different from registered office]] **OR** [an individual who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address]] **OR** [persons listed in *SCHEDULE A* organised as a [firm/association of persons] in the name of [name of the firm or association of individuals], all of whom are Indian citizens and resident in India] (the "Licencee").

BACKGROUND:

- **A.** The Licencee had participated in an electronic auction for grant of an exploration licence, pursuant to which the Licencee has become eligible for grant of an exploration licence.
- **B.** Accordingly, the State Government is now executing this Licence for grant of a Licence to the Licencee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Licence to be paid, observed and performed.

1. **DEFINITIONS**

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to themunder the Act and the rules made thereunder.

2. GRANT OF LICENCE

The State Government hereby grants the Licence to the Licencee over an area described in Schedule B ("Licence Area") for conducting reconnaissance or prospecting or both reconnaissance and prospecting operations for a period of five years, commencing from the date of the execution of the exploration licence with respect to following mineral(s), [name of the minerals].

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS

- 3.1. The rights and obligations of the State Government and the Licencee shall be asspecified in the Act and the rules made thereunder, including without limitation the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016.
- 3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,
 - (a) the Licencee shall,—
 - (i) at all times comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder and any other applicable law;
 - (ii) make prompt payment of royalty and any other payment required to be made by the Licencee;
 - (iii) pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by the Licencee in exercise of the powers granted by this Licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;
 - (iv) take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mined land, use of pollution- control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time;
 - (v) without delay send to the Deputy Commissioner or Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Licence;
 - (vi) weigh or cause to be measured or weighed upon some part of the Licence Area all minerals from time to time won from the Licence Area, with [number of days] prior notice being given to the Deputy Commissioner or Collector every such measuring or weighing in order that he or some person on his behalf may be present thereat;
 - (vii) submit to the State Government a full report of the work done by the Licencee and disclose all information acquired by the Licencee in the course of the operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Licence; and
 - (viii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this Licence.
 - (b) the State Government shall:
 - (i) have the right to, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever liberty to enter into and upon the Licence Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Licence are hereby expressly conferred upon the Licencee, including without limitation, to make on, over or through the said lands such roads, tramways and ropeways as shall be considered necessary or expedient for any purposes and to obtain from and out of the said lands such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for making, repairing or maintaining such roads, tramways, railways and ropeways to pass and repass at all times over and along such roads, tramways, railways and ropeways for all purposes and as occasion may require;
 - (ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Licencee in accordance with terms of such performance security and require the Licencee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the Licence and fulfilment of all obligations of the Licencee, such security deposit shall be returned to the Licencee after appropriate deductions without any interest; and
 - (iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Licencee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Licencee shall pay the State Government on demand all expenses which shallbe incurred in such carrying out or performance of the same.

3.3. If the State Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral(s) the State Government shall pay the average sale price of such minerals as published by Indian Bureau of Mines prevailing at the time of pre-emption.

Provided that no such amount shall be payable for any mineral(s) other than those specified in the Seventh Schedule.

- 3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the licencee or licencees) forthwith take possession and control of the works, plant, machinery and premises of the Licencee on or in connection with the Licence Area or the operations under this Licence and during such possession or control, the Licencee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central or State Government regarding the use of employment of such works, plants, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to the Licencee for all loss or damage sustained by him or them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.
- 3.5. If after the receipt of an offer of compensation for any damage which is likely to arise from the proposed operation of the Licencee, the occupier of the surface of any part of the said lands shall refuse his consent to the exercise of the rights and powers reserved to the State Government and granted by this Licence, the Licencee shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the State Government is satisfied that the amount of compensation is reasonable or if it is not so satisfied and the Licencee shall have deposited with it such further amount as the State Government may consider reasonable, the State Government shall order the occupier to allow the Licencee to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary for the purpose of the Licence. In assessing the amount of such compensation the State Government shall he guided by the principles of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013.
- 3.6. Every notice required to be given to the Licencee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Licencee and such nomination shall be informed to the State Government in writing. If no such nomination is made then the notice shall be sent to the Licencee by registered post or speed post addressed to the Licencee at the address shown in the application for the Licence or at such other address in India as the Licencee may designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Licencee and shall not be questioned or challenged by him.
- 3.7. If in any event the orders of the State Government are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the Licencee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Licencee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Licencee by these presents.

4. GOVERNING LAW

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. In the event of any dispute in relation to the this Licence and in respect of all matters touching the relationship of the Licencee and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at [name of the city]) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the courts named above.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE A – LIST OF PERSONS*

Sl. No.	Name	PAN Number	Address

^{*} To be deleted if the Licencee is not an association of individuals.

SCHEDULE B: AREA OF EXPLORATION LICENCE

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

Schedule – V-B [See rule 9A]

Format of Supplementary Exploration Licence

This deed for grant of an exploration licence ("Licence") is made by and between thefollowing:

PARTIES:

1. The Governor of [State], acting through [Department of Mines and Geology of the State] (the "State Government").

AND

2. [Name of the licencee] [incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [place of business, if different from registered office]] **OR** [an individual who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address]] **OR** [persons listed in *SCHEDULE A* organised as a [firm/association of persons] in the name of [name of the firm or association of individuals], all of whom are Indian citizens and resident in India] (the "Licencee").

BACKGROUND:

- **A.** The Licencee had participated in an electronic auction for grant of an exploration licence, pursuant to which the Licencee has become eligible for grant of an exploration licence.
- **C.** On....../after three years after such execution, the Licencee made an application to retain an area described in Schedule B-I/II/III... stating the reasons for retention of such area.
- **D.** Accordingly, the State Government is executing this supplementary exploration Licence over the [retained area/final retained area after three years] as described in Schedule B-I/II/III.
- **E.** All the other terms and conditions of the exploration licence shall be applicable to this supplementary licence.

1. **DEFINITIONS**

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to themunder the Act and the rules made thereunder.

2. GRANT OF LICENCE

The State Government hereby grants the Supplementary Licence to the Licencee over an area described in Schedule B-I/II/III... ("Final/ Retained Area") for conducting reconnaissance/ prospecting/ both reconnaissance and prospecting operations for balance period out of five years (for retained area)/ for a balance period of two years (for final area), from the date of the execution of the exploration licence with respect to following mineral(s), [name of the minerals].

3. GOVERNING LAW

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. In the event of any dispute in relation to the this Licence and in respect of all matters touching the relationship of the Licencee and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at [name of the city]) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the courts named above.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE A – LIST OF PERSONS*

Sl. No.	Name	PAN Number	Address

^{*} To be deleted if the Licencee is not an association of individuals.

SCHEDULE B: AREA OF EXPLORATION LICENCE

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

SCHEDULE B-I: AREA OF SUPPLEMENTARY EXPLORATION LICENCE

(As retained out of the total area granted EL after surrender of part area)

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

SCHEDULE B-II: AREA OF SUPPLEMENTARY EXPLORATION LICENCE

(As retained out of the total area granted EL after surrender of part area)

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

SCHEDULE B-{N}: AREA OF SUPPLEMENTARY (FINAL) EXPLORATION LICENCE

(As finally retained after a period of three years from the date of execution of the EL)

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.).".

- **12.** In the said rules, in Schedules IX and X, after the words "composite licence", wherever they occur, the words "or exploration licence" shall be inserted.
- 13. In the said rules, for Schedule XII, the following shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-XII [see rule 54(2)]

AMOUNT OF FINE

Rule No.	Marginal heading of the Rule	Amount of fine for leases having lease area up to 25 hectare and having per annum approved production capacity up to 2 lakh tonnes (in Rs.)	other than those covered in column (3) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub-Rule (2) of	Modification and review of	1,000/- per day, subject to	2,000/- per day, subject to
rule 17	Mining Plan	maximum 5,00,000/-	maximum 5,00,000/-".

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI (Part1)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 737(E), dated the 12th October, 2023.